(32)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 245/2022

1. नारायण सिंह पुत्र आशाराम, आयु 77 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम पकोड़ी की ढाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. प्रहलाद पुत्र आशाराम, आयु 70 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम पकोड़ी की ढाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––आवेदक

बनाम

1. गोरा देवी आयु 78 वर्ष स्त्री रतिराम
2. किशोरीलाल आयु 51 वर्ष पुत्र रतिराम
3. रामनिवास आयु 48 वर्ष पुत्र रतिराम
4. जयसिह आयु 45 वर्ष पुत्र रतिराम

   जाति माली, निवासी पकोडी की ढाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. अनिता आयु 43 वर्ष पुत्री रतिराम पत्नी केशवचन्द सैनी, जाति माली, हाल निवासी रोड़ नम्बर 3, गोलाई मोड़, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. सोनी उम्र 68 वर्ष पुत्री रतिराम पत्नी स्व0 भगवानदास, जाति माली, निवासी खेतड़ी, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।
7. नाथी पत्नी शंकरलाल
8. मुकेश पुत्र शंकरलाल
9. राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल
10. संदीप पुत्र शंकरलाल

    जमना देवी पत्नी धर्माराम ''मृतक''
11. इन्द्र सिंह पुत्र धर्माराम
12. रिछपाल पुत्र धर्माराम
13. गोपाल पुत्र धर्माराम
14. रामजीलाल पुत्र धर्माराम

    मनभरी पत्नी गणपत ''मृतक''
15. ओमप्रकाश पुत्र गणपत
16. सुलतान पुत्र गणपत
17. ओमली पत्नी सरदाराराम
18. लालचन्द पुत्र सरदाराराम

    कन्हैयालाल पुत्र भानाराम ''मृतक''
19. महेन्द्र सिह पुत्र कन्हैयालाल
20. जुगलाल पुत्र कन्हैयालाल
21. जयप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल
22. रोहिताश पुत्र कन्हैयालाल

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

23. पवन पुत्र कन्हैयालाल
24. रामप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल
कुरड़ाराम पुत्र भींवाराम ''मृतक''
25. घड़सीराम पुत्र कुरड़ाराम
26. पप्पुराम पुत्र कुरड़ाराम
27. कालू पुत्र जैसा
28. भगवती पत्नी मंगतूराम
29. जगदीश पुत्र मंगतूराम
समस्त जाति माली, निवासीगण पकोडी की ढाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।
30. रमेश पुत्र मंगतूराम
31. किशार पुत्र मंगतुराम
32. गोपी पुत्र पन्ना
33. घीसाराम पुत्र लिखमाराम
34. चतरराम पुत्र अमराराम
35. मणी देवी पत्नी सरदाराराम
36. रोबिल पुत्र सरदाराराम
37. चंचल पुत्री सरदाराराम
38. नेहा पुत्री सरदाराराम
39. नितू पुत्री सरदाराराम
40. मीरा देवी पत्नी हजारीलाल
41. नवीन पुत्र हजारीलाल
42. निशा पुत्री हजारीलाल
43. सोनू पुत्री हजारीलाल
समस्त जाति माली, निवासी चमनपुरा, कालेरी की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
44. जयराम पुत्र परतुराम
जुहारा पुत्र जोधा ''मृतक''
45. कानाराम पुत्र जुहारा
46. महाधाराम पुत्र जुहारा
47. गोपीराम. पुत्र जुहारा
48. बिमला पत्नी सागरमल
49. मुकेश पुत्र सागरमल
50. संतोष पुत्र सागरमल
51. राकेश पुत्र सागरमल
52. सुनिल पुत्र सागरमल
झण्डु पुत्र भींवा ''मृतक''
53. विधाधर पुत्र झण्डु
54. रामस्वरूप पुत्र झण्डु
55. मनीराम पुत्र झण्डु

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

56. संतकुमार पुत्र झण्डु
57. गीगाराम पुत्र झण्डु
58. झाबरमल पुत्र झण्डु
59. तेजपाल पुत्र झण्डु

धुड़ाराम पुत्र पन्ना ''मृतक''

60. सरबती पत्नी धुड़ाराम
61. मुकेश पुत्र धुड़ाराम
62. हरीश पुत्र धुड़ाराम
63. कैलाश पुत्र धुड़ाराम

नेतराम पुत्र पीथाराम ''मृतक''

64. शेरसिह पुत्र नेतराम
65. भागीरथ पुत्र नेतराम
66. रामस्वरूप पुत्र नेतराम
67. इन्द्राज पुत्र नेतराम

नन्दलाल पुत्र बालुराम ''मृतक''

68. हरबाई पुत्र नन्दलाल
69. केशरी देवी पत्नी श्रीराम
70. सुनिल पुत्र श्रीराम
71. सुरेश पुत्र नन्दलाल
72. पप्पु पुत्र नन्दलाल
73. गुलाब पुत्र नन्दलाल
74. चरण सिह पुत्र नन्दलाल
75. प्रहलाद पुत्र ताराचन्द
76. मनोहरलाल पुत्र ताराचन्द
77. लीलाधर पुत्र ताराचन्द

समस्त जाति माली, निवासीगण पकोड़ी की ढ़ाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।

पोकर पुत्र चुन्नाराम ''मृतक''

78. पीरामल पुत्र पोकर
79. होशियार पुत्र पोकर
80. बृजलाल पुत्र पोकर
81. दयानन्द पुत्र पोकर

समस्त जाति माली, निवासीगण चमनपुरा, कालेरी की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

फुली पत्नी जोराराम ''मृतक''

82. राधेश्याम पुत्र जोराराम
83. संतोष पुत्र जोराराम
84. भोलाराम पुत्र भोजाराम
85. बुधराम पुत्र भोजाराम
86. बंशीधर पुत्र भोजाराम

87. बजरंग पुत्र भोजाराम
88. बुजा पुत्र हीरा
बदरू पुत्र बालूराम ''नाऔलाद फौत'' बस्तीराम पुत्र पीथाराम ''मृतक''
89. प्यारेलाल पुत्र बस्तीराम
90. रामकुमार पुत्र बस्तीराम
बालू पुत्र हीरा ''नाऔलाद फौत''
मंगलचन्द पुत्र लिखमाराम ''मृतक''
91. मोटा देवी पत्नी मंगलचन्द
92. अंकित पुत्र मंगलचन्द
93. धोलू पुत्र मंगलचन्द
मंगला पुत्र हीरा ''मृतक''
94. शीशराम पुत्र मंगला
माड़ी पुत्री लिखमाराम ''मृतक''
माला पुत्र भींवा ''मृतक''
95. शीशराम पुत्र माला
96. छाजुराम पुत्र माला
97. श्रामनिवास पुत्र पीथाराम
98. शिवनारायण पुत्र परतुराम
99. संतोष पुत्री बल्लू
100. सांवत पुत्र बल्लु
101. सुभाष पुत्र रतिराम

समस्त जाति माली, निवासीगण पकोड़ी की ढाणी तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।

102. उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं।
103. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, झुंझुनूं।

—— अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राज0टी0एक्ट बाबत स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी गोरा देवी वगैरह बनाम नारायण सिंह वगैरह दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 127/2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं तारीख पेशी दिनांक 11.07.2022

— — —

उपस्थितः—
1. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक— आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट— अनावेदक सं0 1 लगायत 6, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 33, 69, 71 लगायत 77, 91, 92, 93 एवं 100 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 102 व 103 की ओर से उपस्थित।
4. अनावेदक सं0 7 लगायत 16, 19, 21, 23, 25, 26, 28 लगायत 32, 34 लगायत 68, 70, 78 लगायत 90, 94 लगायत 99 एवं 101 की तलबी आवश्यक नही होने से बन्द की गई।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

आदेश

दिनांक 21.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 6 ी ओर से तहसील झुंझुनूं में जमीन खसरा नम्बर 352, 353, 354, 355, 356, 357, 369, 390, 391, 392, 94, 395, 396, 397, 398, 399, 400 401, 404, 405, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 16, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 35, 436, 437, 438 कुल किता 52 रकबा 13.36 हैक्टर वाके ढाणी पकोडी के बाबत एक दावा बाबत ोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं में किया जिसमे ागामी तारीख पेशी वास्ते बहस दरख्वास्त बाबत विभाजन प्रस्ताव मुर्कर है। उक्त दावा मे गत तारीख पेशी दिनांक 27.06.2022 को अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 6/वादीगण की ओर से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नम्बर 1, की ओर से प्रस्तुत उजरदारी का जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसकी नकल प्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिये जाने के बाद अप्रार्थी नं0 2 व उसके अधिवक्ता ने आपती कर उसी रोज दिनांक 27.06.2022 को ही हस कर प्रकरण के निस्तारण के लिए जिद की तो प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नं0 1, 2 व इनके अधिवक्ता ने समें आपति जताई तो अप्रार्थी नं0 2/वादी नं0 2 किशोरीलाल प्रार्थीगण से झगड़ा करने लगा तथा ार्थीगण से कहा कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 चाहे जो भी करले प्रकरण का निस्तारण तो ादीगण जैसा चाहेंगे उसी प्रकार होगा। अप्रार्थीगण नं0 2 ने प्रार्थीगण से यह भी कहा कि विभाजन प्रस्ताव ो पटवारी, गिरदावर आदि से मिलकर अपनी इच्छानुसार तैयार करवाकर पत्रावली प्रस्तुत करवा दिया है था प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 की आपति भी खारिज करवाकर दावा का निर्णय अपने पक्ष में रवा लिया जायेगा तथा यह भी कहा कि उसने एस0डी0एम0 साहब के बीच के व्यक्तियों से बात पुख्ता र सुविधा शुल्क का इन्तजाम पहले से ही किया हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 की ानूनी बातों को कोई सुनने वाली नही है। प्रार्थीगण को यह भी जानकारी कई व्यक्तियों से मिली है कि दालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय ने अपने कुछ गुर्गे पाल रखे है जिनके माध्यम से सुविधा ुल्क लेकर ही अपनी मर्जी से बिना कानून की परवाह किये फैसले करते है। इस पर प्रार्थीगण को दालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय से विश्वास उठ गया है तथा प्रार्थीगण को इस प्रकार के ीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नही है। प्रार्थीगण के अदालत मातहत में उक्त प्रकरण में ागामी तारीख पेशी 11.07.2022 मुर्कर है। यदि प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए कार्यवाही ही की गई तो अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण का निस्तारण कर गें। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से समय रहते यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जा रहा । अप्रार्थी नं0 102 से प्रकरण में न्याय मिलने में पूर्ण आशंका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण म्बर 1, 2 व अन्य के विरूद्ध उक्त अनुसार किये गये दावा मु0नं0 127/2019 को किसी अन्य सक्षम यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र स्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी गौरा देवी गैरह बनाम नारायण सिह वगैरह दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 127/2019 को ुरन्त तलब किया जाकर बाद सुनवाई उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन ंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने पत्रांक 465 दिनांक 25.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

कानूनी है। प्रकरण संख्या 127/2019 उनवानी गौरोदवी वगै0 बनाम नारायण सिंह वगै0 मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2022 नियत है। बिन्दू सं0 2 मनगढन्त व निराधार है। बिन्दू सं0 3, 4, 5 कानूनी है। अतः बिन्दूवार टिप्पणी प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को ही मेरी बहस माना जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी गौरा देवी वगैरह बनाम नारायण सिह वगैरह दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 127/2019 को तुरन्त तलब किया जाकर बाद सुनवाई उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकूल निस्तारित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 33, 69, 71 लगायत 77, 91, 92, 100 ने वकील प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया तथा कथन किया कि प्रकरण मे अप्रार्थी सं0 1 ही मुख्य पक्षकार है शेष पक्षकार औपचारित पक्षकार है जिन्हे सुना जाना आवश्यक नही है। यदि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी गौरा देवी वगैरह बनाम नारायण सिह वगैरह दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 127/2019 को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

राजकीय वकील अप्रार्थी सं0 102 व 103 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मु0 उनवानी गौरा देवी वगैरह बनाम नारायण सिह वगैरह दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 127/2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उनवानी गौरा देवी वगैरह बनाम नारायण सिह वगैरह दावा बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 127/2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के न्यायालय में दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुन्झुनू